

राजस्थान सरकार  
सामाजिक प्रशासन (मुप-2) विभा.

क्रमांक: एफ.2(1)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक 12 NOV 2013

--: आदेश :-

इस विभाग के समर्त्रत्वके आदेश दिनांक 15.10.2013 के द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को  
उनकी द्वितीय श्रेणी वरिष्ठतामुखार उनके नाम के समुख आवंटित किए गए राजस्थान आवासों का कब्जा नहीं  
लेने/रहने योग्य नहीं होने के कारण आवंटन आदेश एवंद्वारा निरस्त किए जाते हैं:-

क्र. सं.	वरिष्ठता संख्या	नाम व पद	प्रस्तावित आवास संख्या	सेवानिवृत्त दिनांक
1	18/2012	डॉ० केशवदेव सहायक आचार्य पीआरएम (आरआरसी) सावाई गानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	5/6, हीराबाग जयपुर	31.7.2045
2	25/2012	डॉ० नीरज चतुर्वेदी सहायक आचार्य (कार्डियोलॉजी) सावाई गानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	II/36, गांधीनगर	31.7.2039
3	40/2012	श्री मुकन चन्द कानूनी अधीक्षण अधियन्ता (पी.एम.सी.एस.वाइ.) सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर	एम-14, गांधीनगर	31.1.2016
4	42/2012	श्री बाल किशन सरखिला उपायुक्त (सांखिकी) कमालय अतिथित आयुक्त (प्रशासन) मुख्यालय वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर	II/.., गांधीनगर (रहने योग्य नहीं होने के कारण)	31.5.2016

अजयपुर की आज्ञा है,

*अजयपुर जिला नियंत्रक*(शज़िन्न प्रसाद खोरागिया)  
विशिष्ट शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नान्वित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- समाजीय आयुक्त, जयपुर।
- जिला कलक्टर, जयपुर।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- नियंत्रक, सावाई गानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
- अधीक्षण, सावाई गानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
- आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- कौशिकीय, शाराम सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
- अधिकारी अधिकारी, सामिनीयो/जन विवरणियो/जयपुर विवरणियम ३५०, गांधीनगर/गालवीनगर/हीराबाग जयपुर।
- संविधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि अवृद्धि अवास का नियमानुसार किसाया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अधिक में कब्जा लेने में अराकल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-६ की पालना की भी अगले में लावें।
- संविधित अधिकारीय।
- निदेशक, उद्यान विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- प्रबन्ध निदेशक, सज्जनेम, प्रथम ताल फैज़ाल खवन, जयपुर-कृष्णा उक्त आदेश को सामाजिक प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/गालवीनगर/हीराबाग जयपुर को भेजकर लेख है कि कृष्णा आदेश की शर्त संख्या-३ की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा लें। कृष्णा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर घरपा करावें।

15. श्री वालकिशन सांखला, उपायुक्त, सांखिकी कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त, मुख्यालय, बाणिधिय कर विभाग, जयपुर को वरिष्ठता से अगले आवंटन पर विचारणीय होगा।
16. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (मुप-6) विभाग।
17. प्रबन्धक, सर्किट हाउस, जयपुर।
18. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गढ़ीनगर, जयपुर।
19. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
20. रक्षित पत्रावली।

*मा.लाल*  
(मा.लाल शर्मा) 17/12  
शासन सहायक सचिव